न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 48/2022

1 सुरेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गोविन्दराम पुत्र प्रभूदयाल।
2 ओमप्रकाश पुत्र प्रभूदयाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
3 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
4 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2021 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर सूरजगढ़ जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी गोविन्दराम बनाम ओमप्रकाश मुकदमा नम्बर 209/2021 दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री रविन्द्र लाम्बा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–27.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 209/2021 में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 गोविन्दराम ने अदालत मातहत के समक्ष ग्राम बलौदा तहत तहसील सूरजगढ़ में स्थित जमीन हाल खसरा नम्बर 751/243 में आने जाने के लिए रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ओमप्रकाश की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 243 में से रास्ता हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती मु.नं. 09/2018 उनवानी गोविन्दराम बनाम ओमप्रकाश पेश किया। उक्त वाद पत्र को अदालत मातहत ने दिनांक 20.02.2020 को एक पक्षीय रूप से डिक्री कर दिया व बाद में रेस्पोडेन्ट नं. 2 ओमप्रकाश ने विचारण न्यायालय के समक्ष मु.नं. 09/2018 में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त करने हेतु आदेश 09 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र उनवानी ओमप्रकाश बनाम गोविन्दराम मु.नं. 172/2020 पेश किया उस प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा.दी. को विचारण न्यायालय ने दिनांक 24.08.2021 को स्वीकार कर मु. नं. 09/2018 में पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2020 अपास्त कर मु.नं. 09/2018 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश की पालना में मु.नं. 09/2018 को विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.08.2021 को पुनः नम्बर पर

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

लिया जाकर नया मु.नं. 09/2018 की जगह मु.नं. 209/2021 कायम कर अपीलान्ट को बिना सुने दिनांक 22.10.2021 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की इससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित करने में अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। मुकदमा नम्बर 09/2018 पुनः नम्बर पर मु.नं. 209/2021 पर दर्ज करने के बाद कानूनन प्रतिवादी पक्षकार को नोटिस जारी करना चाहिए था लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के नाम सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नही किया। अपीलान्ट को जवाबदेही का प्रोपर अवसर नहीं दिया। मूल मुकदमा पुनः नम्बर पर दर्ज करने के बाद रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 आपस में मिल गये तथा अपीलान्ट को नुकसान पहूंचाने के लिए दिखावटी रूप से राजीनामा बतलाकर व राजस्व टीम से मिलकर आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित करवाकर अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 755/250 की पूर्वी सीमा के पास से गलत रूप से रास्ता कायम करवा दिया जबकि पूर्व बंटवारा के मुताबिक खसरा नम्बर 243 की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा के पास से रास्ता रहा है। राजस्व टीम ने दिनांक 22.10.2021 को जो मौका रिपोर्ट बनाई वह अपीलान्ट की बिना जानकारी के उसकी गैरमौजुदगी में बनाई है। अपीलान्ट को दावा का विरोध करने का अवसर नहीं दिया। आलौच्य निर्णय व डिक्री अपीलान्ट की गैर मौजुदगी में जारी की है। कानून से किसी पक्षकार को सुने बिना उसकी खातेदारी खत्म नहीं की जा सकती। विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली में आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित करने में फर्जकारी (कूटरचना) कारित की है। आदेश 09 नियम 13 सीपीसी की पत्रावली उनवानी औमप्रकाश बनाम गोविन्दराम मु.नं. 172/2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 को आयोजित होने वाली सूची में कम संख्या 84 पर दर्ज कर रखा है जबकि मु.नं. 172/2020 की पत्रावली का निर्णय दिनांक 12.03.2022 से पूर्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांक 24.08.2021 को किया जा चुका है। अपीलान्ट ने मु.नं. 09/2018 की पत्रावली की दिनांक 15.03.2022 को नकल प्राप्त की उस दिन तक पत्रावली में आदेशिका दिनांक 26.08.2021 व आदेशिका दिनांक 14.10.2021 एवं निर्णय की आदेशिका दिनांक 22.10.2021 नहीं लिखी गई थी। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2022 के बाद स्वीकार कर मूल मुकदमा नम्बर 209/2021 दिनांक 15.03.2022 के बाद पीछे की तारीख में दर्ज कर आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2021 दिनांक 15.03.2022 के बाद पारित की है। इस प्रकार अपीलान्ट को नुकसान कारित करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण पत्रावली में कांट–छांट कर कूटरचना कारित कर गलत निर्णय व डिक्री कूटरचित तरीके से पारीत की है। दिनांक 26.08.2021 व दिनांक 14.10.2021 की आदेशिका की तारीख में भी काटछांट की है। विचारण न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रकृति की रिलीफ बाबत वाद पत्र पोषणीय नहीं था। धारा 88 आर.टी. एक्ट के तहत रास्ता कायम करने बाबत घोषणा नहीं की जा सकती। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध मूल वाद में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को मनसुख करवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये है। विचारण न्यायालय ने राजीनामें के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जहां तक के प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। मुकदमा नम्बर 09/2018 पुनः नम्बर पर मु.नं. 209/2021 पर दर्ज करने के बाद कानूनन प्रतिवादी पक्षकार को नोटिस जारी करना चाहिए था लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के नाम सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नही किया। अपीलान्ट को जवाबदेही का प्रोपर अवसर नहीं दिया। मूल मुकदमा पुनः नम्बर पर दर्ज करने के बाद रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 आपस में मिल गये तथा अपीलान्ट को नुकसान पहूंचाने के लिए दिखावटी रूप से राजीनामा बतलाकर व राजस्व टीम से मिलकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाकर अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 755/250 की पूर्वी सीमा के पास से गलत रूप से रास्ता कायम करवा दिया जबकि पूर्व बंटवारा के मुताबिक खसरा नम्बर 243 की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा के पास से रास्ता रहा है। राजस्व टीम ने दिनांक 22.10.2021 को जो मौका रिपोर्ट बनाई वह अपीलान्ट की बिना जानकारी के उसकी गैरमौजुदगी में बनाई है। अपीलान्ट को दावा का विरोध करने का अवसर नहीं दिया। विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपीलान्ट की गैर मौजुदगी में जारी की है। कानून से किसी पक्षकार को सुने बिना उसकी खातेदारी खत्म नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर।